घ) दिनांक– 10.05.2023 से दिनांक– 12.05.2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. **परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:–**

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक(√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JLACE-2023 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

15. **पदों का विकल्प** :–

अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं।

16. **परीक्षा का स्वरूप** :– आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा **(CBT)** ली जायेगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :– परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

17. **मुख्य परीक्षा** :–

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी।

प्रश्न पत्र –1 सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा – 100अंक

प्रश्न पत्र –2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा – 300 अंक

(i) प्रश्न पत्र–1 में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिन्दी भाषा से होंगे प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिये जायेंगे। प्रश्न पत्र–2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिये जायेंगे।

(ii) प्रश्न पत्र–1 अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र–2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र–1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे। **प्रश्न पत्र–1 एवं प्रश्न पत्र–2 में गलत उत्तर के लिए अंको की कटौती नहीं की जायेगी।**

(iii) प्रश्न पत्र–2 अन्तर्गत न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जायेगी। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र–2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(iv) भौतिकी विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र–2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से होंगे।

(v) रसायन शास्त्र विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र–2 में 150 प्रश्न रसायन शास्त्र विषय से होंगे।

(vi) जीव विज्ञान विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र–2 में 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र तथा 75 प्रश्न जन्तु शास्त्र विषय से होंगे।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 25 प्रश्न

इस भाग में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न – 50 प्रश्न

i) सामान्य अध्ययनः–

इस भाग में प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

ii) सामान्य विज्ञानः–

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

iii) मानसिक क्षमता जाँचः–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

iv) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्त्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

v) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञानः–

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम॰एस॰ विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम॰एस॰ ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

प्रश्न पत्र–2 (संबंधित विषय की परीक्षा)

पाठ्यक्रम यथा परिशिष्ट–XI में संलग्न है।

18. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका–17 के अधीन प्रश्न पत्र 2 के विषय के प्राप्तांक/Normalised प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common MeritList) तैयार की जायेगी और मेधा–सह–विकल्प (Merit-cum-Option) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक योग्यता में प्राप्त अकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन कियाजायेगा।

(iv) **परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–**

(I)	**अनारक्षित**	**–50 (पचास) प्रतिशत**
(II)	**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति**	**–45 (पैतालीस) प्रतिशत**
(III)	**अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1)**	**–50 (पचास) प्रतिशत**
(IV)	**पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2**	**–50 (पचास) प्रतिशत**
(V)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)**	**–50 (पचास) प्रतिशत**

(v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयनसूची गठित होगी।

19. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–18 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

20. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।